न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस

अपील संख्याः 57 / 2025
जीसीएमएस संख्याः 2025 / 238 निर्णय दिनांकः 11-5-26

1. शमशेर सिंह पुत्र रविकुमार जाति जाट निवासी वार्ड नम्बर 15, हनुमानगढ़ टाउन, जिला हनुमानगढ।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. कुंभाराम पुत्र दूदाराम जाति जाट निवासी राणीसर तहसील लूणकरणसर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व लूणकरणसर जिला बीकानेर।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, लूणकरणसर
दिनांक 11—07—2025

उपस्थितः—

1. श्री सतपाल सहु, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री राजेश बैद, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3. श्री मिलापचन्द धत्तरवाल, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, लूणकरणसर के आदेश दिनांक 11—07—2025 जिसके द्वारा अपीलांट के खातेदारी खेत मे से गैर कानूनी तरीके से रास्ता स्वीकृत करने के आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मनमाने व स्वेच्छाधारी तरीके से प्रदान किये गये है के विरूद्ध इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम राणीसर तहसील लूणकरणसर के खसरा नम्बर 51 तादादी 5.3100 हैक्टर, खसरा नम्बर 54 तादादी 0.7100 हैक्टर एवं खसरा

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

नम्बर 55 तादादी 0.3000 हैक्टर स्थित है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम से खसरा नम्बर 391/44 तादादी 5.1560 हैक्टर जरिये खाता विभाजन दिनांक 17–05–2022 के आधार पर नामान्तकरण संख्या 84 दिनांक 16–07–2022 दर्ज रिकॉर्ड हुई। खसरा नम्बर 44 व खसरा नम्बर 50 अपीलांट की पैतृक भूमि रही है जिसमें दौराने विभाजन रास्ता काटा जाना आवश्यक था परन्तु तहसीलदार, लूणकरणसर द्वारा बिना सभी काश्तकारान हेतु रास्ता कायम किये आदेश पारित किया गया है। रेस्पोडेन्ट स्वयं का खेत खसरा नम्बर 50 जो सड़क से चितपा व खसरा नम्बर 44 में स्थित खसरा नम्बर 390/44, खसरा नम्बर 392/44 एवं खसरा नम्बर 391/44 की भूमि रेस्पोडेन्ट की पैतृक भूमि ही है परन्तु खाता विभाजन के समय इसी खसरा नम्बर 44 में से रास्ता दिया जा सकता था परन्तु नही दिया गया। अपीलांट के खसरा नम्बर 51 मे रास्ता कायम कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कानूनन भूल कारित की है। खसरा नम्बर 390/44, 392/44, 391/44 दूदाराम की खातेदारी भूमि रही है जो भाईयों में आपसी बंटवारा करने पर स्वयं की खातेदारी भूमि मे से रास्ता दिया जा सकता है। तहसीलदार द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट में इस तथ्य पर कतई गौर नही किया गया। केवल मात्र आनन फानन में रेस्पोडेन्ट को फायदा पहुँचाने की गर्ज से अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना प्रोपर तामील की प्रकिया अपनाये, बिना माईण्ड अप्लाई किये, अपीलांट को बिना सुने एकतरफा आदेश पारित किया गया है। उक्त आदेश मनमाने तरीके से पारित किया गया है। इसलिए अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी, लूणकरणसर दिनांक 11–07–2025 निरस्त किया जावे।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने कथन किया कि धारा 251 ए के तहत रास्ते की आवश्यकता (absolute necessity) को ध्यान में रखते हुए रास्ता स्वीकृति के आदेश पारित किये जाने होते है। अपीलांट द्वारा अपने खेत खसरा नम्बर 391/44 की भूमि में प्रवेश करने हेतु रास्ता की मांग अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष की गई थी जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रास्ते के आज्ञापक प्रावधानो की पालना करते हुए तहसीलदार राजस्व, लूणकरणसर से मौका रिपोर्ट मंगवाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। उक्त अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि नही है। खसरा नम्बर 44 मे कभी कोई नजदीकी रास्ता नही लगता था उसी खसरे में आवागमन हेतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रास्ता स्वीकृत किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

रास्ते को स्वीकृत करके किसी प्रकार की भूल कारित नही है। तहसीलदार, लूणकरणसर की मौका रिपोर्ट दिनांक 05–02–2025 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पास अपने खेत में आने जाने के लिए कोई नजदीकी रास्ता उपलब्ध नही है। इन सभी बिन्दूओं को ध्यान में रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अतः अपीलांट की अपील खारिज की जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अध्ययन किया गया।

6. हस्तगत् प्रकरण में रेस्पोडेन्ट द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट द्वारा अपने खेत खसरा नम्बर 391/44 में आवागमन हेतु रास्ता स्वीकृत किये जाने के कथन किया है। इस संबंध मे हमने न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया।

प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट के खेत खसरा नम्बर 391/44 में आवागमन हेतु अपीलांट के खेत खसरा नम्बर 51 मे से रास्ता चाहा गया है। इस संबंध में अपीलांट का मुख्य कथन यह है कि खसरा नम्बर 50 खसरा नम्बर 392/44, 390/44 की भूमि रेस्पोडेन्ट की ही पैतृक भूमि है इस भूमि का खाता विभाजन दिनांक 17–05–2022 को हुआ है तथा इंतकाल संख्या 84 दिनांक 16–07–2022 को उक्त भूमि का रिकॉर्ड में अंकन किया गया है। खसरा नम्बर 50 की भूमि के चिपते ही सड़क लग रही है परन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपनी भूमि को छोड़ते हुए अपीलांट की भूमि मे से रास्ते की मांग की है। पत्रावली पर उपलब्ध नामान्तरण प्रपत्र, जमाबंदी व नजरी नक्शा के अवलोकन से स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 50 व खसरा नम्बर 44 की भूमि रेस्पोडेन्ट की ही पैतृक संपति है जिसका खाता विभाजन दिनांक 17–05–2022 को किया गया तथा इंतकाल संख्या 84 दिनांक 16–07–2022 दर्ज हुआ। खाता विभाजन करते समय तहसीलदार, लूणकरणसर को सभी काश्तकारो के आवागमन हेतु रास्ते के आज्ञापक प्रावधानो को ध्यान में रखते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार किये जाने चाहिए थे परन्तु तहसीलदार, लूणकरणसर द्वारा इस बिन्दू पर गौर किये बिना ही सहकाश्तकारो के मध्य खाता विभाजन किया गया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपने खेत में आने जाने हेतु रास्ते की आवश्यकता होने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपीलांट के खेत मे से रास्ता चाहा .

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

है जो युक्तियुक्त नही है क्योकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के चिपते ही खसरा नम्बर 392/44, 391/44, खसरा नम्बर 390/44 व खसरा नम्बर 50 स्थित है जो रेस्पोडेन्ट की ही पैतृक व परिवार की भूमि ही उसमें से भी रास्ता स्वीकृत किया जा सकता था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकतरफा तौर पर अपीलाधीन आदेश पारित किया है तथा तहसीलदार, लूणकरणसर द्वारा अपनी मौका रिपोर्ट में केवल मात्र खसरा नम्बर 391/44 का ही हवाला दिया गया है। खसरा नम्बर 390/44, 392/44 व खसरा नम्बर 50 का कही जिक्र नही किया गया है। मौका रिपोर्ट में रास्ते हेतु उपलब्ध समस्त विकल्पो को दर्शाना चाहिए। साथ ही उपलब्ध विकल्पो में से निकटतम रास्ता कौनसा है इसके संबंध में टिप्पणी होनी चाहिए। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध मौका रिपोर्ट के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि इसमें रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता, रास्ते हेतु विकल्पो की उपलब्धता व सर्वोत्तम विकल्प के संबंध में कोई टिप्पणी नही की गई है। अधीनस्थ न्यायालय को चाहिए था कि तहसीलदार से पुनः बिन्दूवार विस्तृत व स्पष्ट मौका रिपोर्ट मंगवाकर तदनुसार रास्ते के संबंध में निर्णय पारित करते। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अस्पष्ट व अधूरी मौका रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जो कि विधिक दृष्टि से उचित प्रतीत नही होता है। अतः अपीलाधीन आदेश पुष्टि योग्य आदेश की श्रेणी में नही आता है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

7. उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी, लूणकरणसर दिनांक 11–07–2025 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रेतिप्रेषित किया जाता है कि वे उभय पक्षो को सुनवाई व सबुत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देते हुए स्पष्ट मौका रिपोर्ट मंगवाकर प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

8. निर्णय आज दिनांक 11-5-26 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर